राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 86/2013/भीलवाड़ा.
(सम्बन्धित अपील संख्या – 1402/2010/भीलवाड़ा)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–चतुर्थ, निम्बाहेड़ा. .....अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

मैसर्स चारभुजा ट्रेडर्स, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस. के. गंगवानी, अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/10/2015

निर्णय

1. यह परिशोधन प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (प्रत्यर्थी) मैसर्स चारभुजा ट्रेडर्स, भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1402/2010/भीलवाड़ा में एकलपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 25.05.2011 में परिशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी द्वारा परिशोधन प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में माननीय एकलपीठ के सन्दर्भित निर्णय दिनांक 25.05.2011 में निम्न त्रुटियां बताते हुए, संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है :–

(1) व्यवहारी पर नोटिस तामील नहीं होने के बावजूद शास्ति के आरोपण को विधिसम्मत ठहराया गया है।

(2) केवल घोषणा–पत्र पंचिंग नहीं किये जाने के आधार पर, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज की पालना मे धारा 76(6) की शास्ति की पुष्टि किये जाने में त्रुटि की गयी है।

(3) अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर नहीं दिये जाने के कारण विवादित आदेश त्रुटिपूर्ण है।

3. उक्त त्रुटियों को संशोधित किये जाने हेतु प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह संशोधन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने परिशोधन प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए माननीय एकलपीठ का आदेश दिनांक 25.05.2011 संशोधित किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.............2

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने माननीय एकलपीठ के निर्णय का समर्थन करते हुए प्रार्थी व्यवहारी का परिशोधन प्रार्थना—पत्र संधारणीय नहीं होने तथा वेट अधिनियम की धारा 33 की परिधि में नहीं आने से अपास्त किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी के परिशोधन प्रार्थना—पत्र का निस्तारण किये जाने से पूर्व राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37; वेट अधिनियम की धारा 33 तथा उक्त धाराओं के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253]** का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :—

<u>Section 37- Rectification of a mistake</u>.- (Rajasthan Sales Tax Act, 1994)

(1) With a view to rectifying any mistake **<u>apparent from the record</u>**, any officer appointed or any authority constituted under the Act may rectify suo motu or otherwise any order passed by him.

<u>Explanation</u>.- <u>A mistake apparent from the record</u> shall include an order which was valid when it was made and is subsequently **<u>rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgement of the Supreme court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.</u>**

(2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

(3) Where an application under sub-section (1) **<u>is presented to the assessing authority,</u>** appellate authority or Tax Board and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

(4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of order sought to be rectified.

(5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

लगातार...............3

Section 33. Rectification of a mistake. – (Rajasthan Value Added Tax Act, 2003)

(1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

Explanation. – A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

(2) No application for rectification shall be filed under sub–section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

(3) Where an application under sub–section (1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

(4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified.

(5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज** में पारित **निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253]** में धारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की 37 (वेट अधिनियम की धारा 33) के सन्दर्भ में पारित निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :–

"18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.

लगातार..............4

> 19. Thus, the order passed by the Taxation Board on 22.1.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored."

9. इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **42 टैक्स अपडेट पार्ट-3 पेज 103 सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर बनाम पी.एन.सी. कंस्ट्रक्शन, धौलपुर में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015** में प्रतिपादित किया है।

10. उक्त विधिक प्रावधानों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 37/33 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग अभिलेख से प्रकट भूल की स्थिति में ही किया जा सकता है। अतः उक्त विधिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा चाहा गया संशोधन धारा 37/33 की परिधि में नहीं आने के कारण संशोधनीय नहीं है।

11. परिणामस्वरूप प्रार्थी व्यवहारी का परिशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी
09.10.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य